

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा हत्या के आरोप में वांछित 02

अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10.03.2025 को कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु०अ०सं० 53/25 धारा 103(1)/238 बी०एन०एस० से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभि०गण 1- अभिषेक दीप जादौन उर्फ रितिक पुत्र राजेश कुमार निवासी कोटला जनपद फिरोजाबाद 2- अभियुक्ता शिवानी पत्नी विजय सिंह निवासी मोहल्ला नुनहाई कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को दिनांक 14.07.2025 को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1- अभिषेक दीप जादौन उर्फ रितिक पुत्र राजेश कुमार निवासी कोटला जनपद फिरोजाबाद।
- 2- अभियुक्ता शिवानी पत्नी विजय सिंह निवासी मोहल्ला नुनहाई कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण – वादी मुकदमा श्री विनोद तोमर पुत्र सुरेन्द्र सिंह तोमर निवासी फतेहपुर थाना अलीगंज जनपद एटा के डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर दिनांक 10.03.25 को वाइस्तवा अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की भांजी मोना की हत्या कर शव को गायब कर देने के सम्बन्ध में दिया गया। तहरीर के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 53/25 धारा 103(1)/238 बी0एन0एस0 बनाम वाइस्तवा ब्रिजेन्द्र पुत्र रतभान सिंह आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में अभियोग उपरोक्त में 01. शिवानी पत्नी विजय समस्त निवासीगण मोहल्ला नुनहाई कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ 02. आयुष तिवारी पुत्र विद्या सागर तिवारी निवासी पटवन गली कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ 03. अभिषेक दीप जादौन उर्फ रितिक पुत्र राजेश सिंह निवासी कोटला जनपद फिरोजाबाद 04. दुष्यंत उर्फ गोलू पुत्र जसवन्त सिंह निवासी बिन्ना थाना कुरावली जनपद मैनपुरी का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 14.07.25 को मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01. शिवानी उपरोक्त 02. अभिषेक दीप जादौन उर्फ रितिक उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभि0गण ने पूछने पर अपने जुर्म से स्वीकार करते हुए शेष सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभि0 अभिषेक दीप जादौन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –:-

1. मु0अ0सं0 53/25 धारा 238 बी0एन0एस0 कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

अभि0 शिवानी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–:-

1. मु0अ0सं0 53/25 धारा 103(1)/238 बी0एन0एस0 कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 अनुराग मिश्र
2. व0उ0नि0 सुरजीत सिंह
3. हे0का0 जावेन्द्र
4. का0 मनोज चाहर
5. म0का0 भारती

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दि०-14.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राहुल गुप्ता पुत्र सर्वेश गुप्ता निवासी गंगानगर कालोनी फर्रुखाबाद को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०-945/2021 वाद स०- 1342/2022 धारा- 3/25 A ACT को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्नर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 14.07.2025 को मा० न्यायालय ई०सी० एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 02 वर्ष का काठोर कारावास व 10000/रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री श्रवण कुमार



को०मो० का० गौरव यादव



पैरोकार का० धर्मेन्द्र कुमार